रही है और क्या उनकी बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं ;

(ख) जिन राज्यों में इन परिषदों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं उनमें इस दिशा में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुमति ओरांव) : (क) और (ग) राज्यों के नाम तथा आदिवासी सलाहकार परिषदें हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार आयोजित की गई बैठकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) राज्यों का आदिवासी विकास से संबंधित इस मंच के महत्व के बारे में बताया गया है और उन्हें कम से कम वर्ष में दो बार नियमित रूप से आदिवासी सलाहकार परिषद् की बैठकें आयोजित करने के लिए बार-बार स्मरण कराया जाता है। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस मामले में लिखा गया है।

विवरण

राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का कार्यकरण

आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें

राज्य	1986–87	1987–88	1988–89
1. आन्ध्र प्रदेश	1	2	सूचित नहीं किया गया —
2. बिहार	शून्य	1	1
3. गुजरात	शून्य	1	1
4. मध्य प्रदेश	2	1	1
5. महाराष्ट्र	1	1	1
6. हिमाचल प्रदेश	2	2	2
7. राजस्थान	शून्य	1	1
8. पश्चिमी बंगाल	2	सूचित नहीं किया गया	1
9. उड़ीसा	1	1	2
10. तमिलनाडु	गठित नहीं की गई		

अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में नयी श्रेणियों का शामिल किया जाना

1346. **श्री अजीत जोगी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल ही में, असम, मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों से आदिवासियों और हरिजनों की वर्तमान सूची में कुछ नए वर्गों को शामिल करने की मांग कतिपय अशासकीय संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा फिर से की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) से (ग) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । उसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन केवल संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है । इस स्तर पर, और अधिक जानकारी नहीं बताई जा सकती ।

आदिवासियों से कृषि उत्पाद की सीधी खरीद

1347. **श्री अजीत जोगी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राइफेड (टी.आर.आई एफ.ई.डी.) द्वारा किन-किन लघु वनोपजों की आदिवासी से सीधी खरीद की व्यवस्था की गई है ;

(ख) ट्राइफेड द्वारा सीधी खरीद किए जाने से आदिवासियों को कितना अधिक लाभ होने की संभावना है; और

(ग) ट्राइफेड ने अपने प्रारंभ होने के बाद से मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में कार्य किया है और इससे प्रदेश के कुल आदिवासियों में से कितने प्रतिशत आदिवासियों को लाभ हुआ है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) से (ग) ट्राइफेड ने चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासियों से इमली तथा हिलब्रूम के लघु वन उत्पाद सीधे खरीदने का निश्चय किया है । राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर ट्राइफेड ने विपणन हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। आदिवासियों को उचित मूल्य का आश्वासन देते हुए, निजी व्यापारियों द्वारा प्रभावी मूल्यों में वृद्धि करते हुए ट्राइफेड द्वारा सीधे क्रय से उन्हें अतर आके लाभ हो सकता है। इस प्रकार संपूर्ण जिले के आदिवासियों को संघ के कार्यों से लाभ हो सकता है ।

वनोपज के व्यापार में बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाना

1348. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय लघु वनोपजों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद उनकी खरीद मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में परोक्ष रूप से अब भी बिचौलियों द्वारा ही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या लघु वनोपजों के व्यवसाय में हो रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई नये कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।